114

54

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म0प्र0भोपाल

Tel.(office) 2674212,2551450(Fax) 2551450,E-mail ID :apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/एफ–5/2010/10–10/4034 ~~भोपाल, दिनांक~~ /24/9/10

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

प्रति,

समस्त
मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश

विषयः–वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहनों का प्राकलित मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में।

––00––

विषयांर्तगत लेख है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 एवं मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता व्यापर अधिनियम 1964 एवं मध्य प्रदेश (गमन) नियम 1961 के अंर्तगत संबंधित वन उपजों के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को जप्त कर राजसात करने के अधिकार वन अधिकारीयों को दिये गऐ है । इन प्रावधानों के अंतर्गत जो भी वाहन राजसात किए जातें है उनके शासकीय उपयोग अथवा निर्वतन के संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर समिति का गठन किया जा कर मूल्य निर्धारण किया जाता है। अतः इस हेतु राजसात किए गए वाहनो के प्राकलित मूल्य के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक /238/4573/10/2/91 दिनांक 10/जनवरी 1992 के अनुसार समिति का गठन किया जा कर वन अपराध में पकडे गए राजसात वाहनो का राजसात प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मूल्य निर्धारित कर संबंधित मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन के पश्चात राजसात वाहन के निर्वतन की कार्यवाही करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

24/9

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश